(557)

श्री

नि. 667/I/14

मानननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विक्रमसिंह पिता दलपतसिंहजी जाति राजपुत,
आयु 55 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ईटावामाताजी,
तहसील व जिला रतलाम म.प्र. ---- प्रार्थी

विरुध्द

आरिफ पिता हयातखां जाति शैरानी,
निवासी शैरानीपुरा रतलाम म.प्र. ---प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू-रा. संहिता एवं धारा-5 एवं 14 अवधि अधिनियम

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं.

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र निम्नानुसार पेश है -

1) - यह कि प्रार्थी की ओर से पूर्व में दिनांक 10.07.12 को श्रीमान तहसीलदार महोदय रतलाम द्वारा प्र.कृ. 151-अ-12/11-12 में दिनांक 30.06.12 को जो आदेश पारित किया था उसकी निगरानी श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय रतलाम के यहां पेश की थी।

2) - यह कि उपरोक्त निगरानी प्रस्तुती उपरांत भू राजस्व संहिता में संशोधन हो जाने से व निगरानी के अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को हो जाने से विव्दान अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु उक्त निगरानी को लौटाई गई है कि जो आदेश दिनांक - 10.05.2013 को विव्दान अधिनस्थ न्यायालय व्दारा दिया गया है और दिनांक 03.01.2014 को उक्त निगरानी लौटाई गई है।

3) - यह कि दिनांक 03.01.2014 को लौटाते ही प्रार्थी संलग्न श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय रतलाम के यहां प्रस्तुत निगरानी को मूलत: संलग्न प्रस्तुत कर रहा है जिस कारण से निगरानी अनुसार आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन है। अत: संलग्न विव्दान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय रतलाम के यहां प्रस्तुत निगरानी को मय आदेश के प्रस्तुत कर निवेदन है

25/2/14

25/2/14

-2

XXIX(a)-BR(H)-11

557

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-667-एक/14 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	